Re arrangement for

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): Sir, on » point of order. I understand that the Lok Sabha has already adopted the system of simultaneous translation from languages into English and vice versa. And of course, it has also been suggested there that the languages which are not yet considered for translation should also be translated. What I am submitting to you is...

MR. CHAIRMAN: Let me please deal with this first.

SHRI A. P. CHATTERJEE: It is a point of order, it is a question of procedure of the House. This system has been introduced in the Lok Sabha and it may also be introduced here. the simultaneous translation. And I would also ask you to go into whether languages like the Bengali and others which have been left out in the Lok Sabha may not also come within the system of simultaneous translation so that we can express our feelings better.

SHRI MULK.A GOVINDA REDDY (Mysore): Sir, I support the contention of Mr. Chatterjee. It is very important and this system of simultaneous translation which has been adopted by the Lok Sabha should be introduced here. It should be done here also.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I have a submission to make. It has to be explained by some authorities especially the Ministry of Parliamentary Affaire, why, when the arrangement has been made in the other House, it has not been made in this House. After all when you make this arrangement there it should not be very difficult to make that arrangement here also. Besides, we speak in our mother-tongue, many will not be able to understand each other for the time being, but it will be very good.

GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh): There was an occasion when in this House Mr. Chandrasekharan of the S. S. P. had spoken in Malayalam. At that time the understanding was that the simultaneous translation system would be introduced in this House also.

MR. CHAIRMAN: So far as Mr. Bhandari is concerned, I understand that it is the same Notification. It is not different. There are no two different Notifications. I have already...

simultaneous translation

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan): May I ask the Government to explain ?

MR. CHAIRMAN: I have gone through it carefully.

(Shri Rajnarain rose) When I am

standing, you should not rise.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मिसेज आल्वा न बनिये। आपने जो व्यवस्था दी है उसके बारे में आप पहले मुन तो लीजिये।

श्रीसभापति: पहले मैं खत्म कर वृंतब मैं आपकी बात सुन्गा। मैंने आपको बड़ भौर से जो कुछ आपने कहा सूना । मैं इसके मुता-ल्लिक पहले ही कह चुका हं कि क्या होना चाहिये। मैं इस चीज को फिर देखंगा और पछंगा और जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं उस पर अमल किया जाय।

I will bear in mind what has been said about simultaneous translation. I will consult the Government and I will see what can be done.

श्री राजनारायण: श्रीमन्, आपने जो पालिसी के बारे में कह दिया है, उतना कहना काफी नहीं है बल्कि करना काफी है। श्रीमन्, मेरा यह निवदन है कि यहां पर जो अधिसूचना दी गई है वह किस तरह से दी गई है वह मैं बतलाना चाहता हं। नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन नारियल जटा उद्योग (संशोधन) नियम, 1969 को प्रकाशित करने वाली अधिस्वना एस० ओ० नं० 2983(अंग्रेजी में) और एस० ओ० नं० 2985 (हिन्दी में)। तो इस तरह से जो ये दो नं० दिये है 2983 और 2985 ये अलग अलग नम्बर है और आपने यह कैसे कह दिया कि दोनों एक ही है। 1733

श्री सभापति: मैं इस चीज को अच्छी तरह से देख्ंगा और जो कुछ मैंने कहा था उसके मुताबिक हुआ या नहीं। मगर इस वक्त मुझे बतलायां जा रहा है कि रूल्स वहीं हैं मगर नम्बर मुख्तलिफ है। फिर भी मैं इस चीज की अच्छी तरह से जांच करूंगा।

श्री राजनारायण : मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चेयर के मुखारविन्द से ऐसा वाक्य न निकले जिस के अर्थ का अनर्थ हो जाय।

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

i. THE WAKF (AMENDMENT) BILL, 1969.

2. THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL, 1969.

SECRETARY: Sir, I have to report to the House th< following messages received from the I ot Sabha, signed by the Secretary of the L fc Sabha:—

- (1) "In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Cor duct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha at its sitting held on the 25th Novembe:, 1969, agreed without any amendmen to the Wakf (Amendment) Bill, 196), which was passed by Rajya Sabha a- its sitting held on the 29th July, 196."
- (2) "In accor lance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct oi Business in Lok Sabha, I am directed :o enclose herewith the Salaries and . Jlowances of Ministers (Amendment) Mil, 1969, as passed by Lok Sabha at ts sitting held on the 24th November, 1969."

Sir, 1 lay the secmd Bill on the Table.

REFERENCE TC AN ALLEGED OMISSION IN A. I. R. BROADCAST ON 26th NOVIMBER, 1969

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): में आपका ध्यान नियमावली की धारा 241 की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री सभापति : किस चीज पर आप बोल रहे हैं ?

की राजनारायण: पाइन्ट आफ आर्डर रेख कर रहा हूं, 241 देख लीजिए। 241 में हमको अधिकार है कि यदि हमारी अनुपस्थिति में कोई सदस्य या गवर्नमेंट कुछ कहे तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकें। गुजराल साहब ने कल हमारी अनुपस्थिति में कहा था कि राजनारायण ने जो कहा कि रेडियो पर लखनऊ प्रदर्शन का प्रसारण नहीं हुआ वह ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि एडीकेट कवरेज हुआ। मेरा कहना है कि उस एडीकेट कवरेज की पूरी की पूरी प्रति मंगा ली जाय। गुजराल साहब ने जो कहा वह ठीक नहीं है, एडीकेट कवरेज नहीं हुआ था। मूल प्रति मंगा कर देख लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : पिछले चार महीने की मंगा कर देखी जाय।

श्री सभापति: मैं कहना चाहता हूं कि जो बात आपने कही यह पहले मुझे लिख कर भेज देते तो मैं गवर्नमेंट से भी पूछता और अपनी भी राय देता . . .

भी राजनारायण: आप कल पृष्ठिये।

श्री सभापति : बोलने नहीं दोगे ? मैं गवनैमेंट से कहता हूं कि जो रेडियो पर उसके मुताल्लिक, जैसा कि मिनिस्टर ने कहा है, प्रसारण हुए वे टेबल पर रखे जाये।

श्री ओम् मेहता (जम्मू और काश्मीर): बहुत अच्छा ।

श्री सभापति : आप मुझे पहले चेम्बर में लिख कर दे देते।

श्री राजनारायण : चेम्बर में क्यों ? Public question must be dated publicly.